न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, जिला हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी– श्रीमती चंचल वर्मा आर.ए.एस.

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम 1994

प्रकरण संख्या– 16/2021

1. संन्तोष देवी पत्नी महेंन्द्रसिंह जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)

–प्रार्थीया

बनाम

1. भानीदेवी पत्नी नत्थुराम जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. पप्पु पुत्र नत्थुराम जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)
3. अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)
4. ग्राम पंचायत बिरकाली जरिये सरपंच ग्राम पंचायत बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)

–अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक– 14/12/2022

प्रार्थीया सन्तोष देवी पत्नी महेन्द्रसिह जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ने एक निगरानी विरूद्व निर्णय प्रशासन एवं स्थापना स्थायी समिति पंचायत समिति नोहर दिनांक 06.12.2017 जिसमें अपील नं. 41 सन् 2017 अनवानी नत्थुराम बनाम संन्तोष देवी आदि में पारित आदेश निरस्त करवाने हेतु प्रस्तुत की एंव निवेदन किया कि–

1. यह कि निर्णय दिनांक 06.12.2017 विधि विरूद्व तथ्यों के आधार पर एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के खिलाफ होने कि वजह से निरस्त योग्य है। नकल निर्णय संलग्न निगरानी है ।
2. यह कि संक्षेप में निगरानी के तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी न. 1 ता 2 के पति, पिता नत्थुराम अपीलॉन्ट ने एक अपील प्रशासन एवं स्थापना स्थायी समिति पंचायत समिति नोहर में इस आशय की पेश कि थी, कि गांव बिरकाली में अपीलान्ट का पुराना कब्जा शुदा 323 वर्गगज का भूखण्ड है। जिसके उत्तर में मकान भंवरसिंह, दक्षिण में मकान पूर्णाराम खाती, बलबीर खाती, पूर्व में मकान सुभाष खाती, पश्चिम में मकान प्रकाश

14/12/22

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

खाती का है। उक्त भूखण्ड पर अपीलान्ट का कच्चा मकान, कुई है एवं उक्त भूखण्ड को अपीलान्ट 25, 30 सालों से उपयोग उपभोग में लेता आ रहा जिसमें अपीलान्ट का पानी का कनेक्शन व राशन कार्ड पहचान पत्र उस भूखण्ड के बने हुए हैं एवं प्रधानमन्त्री आवास योजना के तहत आवास निर्माण हेतु दिनांक 14.02.2017 को स्वीकृति जारी होने पर नींव तक निर्माण हो चुका है एवं प्रथम किस्त की राशि भी प्राप्त हो चुकी है। अब करीब 5, 6 माह पूर्व रेस्पोडेन्ट नं. 1 सन्तोष देवी ने अपीलान्ट के उक्त भूखण्ड पर कब्जा करना चाहा तो गाँव के मौजिज व्यक्तियो ने कब्जा नहीं करने दिया। उक्त घटना के बाद सिविल कोर्ट का नोटिस प्राप्त होने के बाद सन्तोष देवी के पट्टे की जानकारी हुई, कि दिनांक 22.12.2008 को उक्त भूखण्ड का पट्टा बनवा लिया है। जानकारी होते ही अपील प्रस्तुत कर दी गई की विधि विरूद्व पट्टा निरस्त किया जावे। निगरानी कर्ता रेस्पोडेन्ट नं 1 ने मातहत अदालत में हाजिर आकर सिविल कोर्ट में प्रस्तुत दावा एवं स्थगन पत्रावली की नकल फर्द अहकाम प्रस्तुत की एवं निवेदन किया कि सिविल कोर्ट में वाद जैरकार है एवं स्थगन आदेश जारी है एवं निवेदन किया कि उक्त भूखण्ड मेरे पति महेंन्द्र का नत्थुराम से खरीद शुदा है व भूखण्ड उसके उपयोग उपभोग में चला आ रहा है। उक्त भूखण्ड का पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार कार्यवाही कर दिनांक 22.12.2008 को जारी किया है। जिस पर अपीलान्ट नत्थुराम जबरदस्ती निर्माण करने लगा तो उसको रोका लेकिन नहीं मानने पर दिवानी दावा किया पेश किया है एवं अपील खारीज करने हेतु निवेदन किया ।

3. यह कि अपीलान्ट नत्थुराम पुत्र कानाराम फौत हो गया जिसके जायज हकदार अप्रार्थी न. 1 ता 2 ही है ।

4. यह कि वास्तविक स्थिति यह कि प्रार्थीया के नाम से ग्राम पंचायत बिरकाली द्वारा दिनांक 22.12.2008 को आवासीय पट्टा जारी किया हुआ है, जो लगातार उपयोग उपभोग में चला आ रहा है उक्त भूखण्ड के आसा पासा इस प्रकार हैं, उतर में भंवरसिंह राजपूत, दक्षिण में पूर्णाराम खाती, पूर्व में भूखण्ड सुभाष व रास्ता आम पश्चिम में पूर्णाराम खाती उक्त भूखण्ड प्रार्थीया के पति महेंन्द्रसिंह ने अपीलान्ट नत्थुराम से दिनांक 25.3.2008 को खरीद किया था। जिसका कब्जा मौके पर ही सौप दिया था। उसके बाद प्रार्थीया ने अपने नाम नियमानुसार ग्राम पंचायत से जारी करवाया था, जो उसके स्वामित्व आधिपत्य में बिना किसी बाधा के चला आ रहा है। प्रार्थीया ने उक्त प्लॉट में पानी की टुंटी लगा रखी है एवं एक कुई व कच्चा कमरा का निर्माण करा रखा है एवं उक्त भूखण्ड उपयोग उपभोग में चला आ रहा है। जिसको निरस्त करवानें के लिए मातहत अदालत में अपील पेश की, जो मियाद बाहर एवं गुणावगुण पर भी किसी भी प्रकार से चलने योग्य नहीं थी। उसके बावजूद भी एकतरफा निर्णय बिना विधिवत् रूप से सुनवायी का अवसर दिये प्रशासन कमेटी द्वारा निर्णय पारित किया गया है, जो निरस्त योग्य है।

14.12.22

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

5. यह कि मातहत अदालत ने अपने निर्णय में दर्ज किया है कि अपीलाधीन पट्टा अपीलान्ट के उपयोग उपभोग शुदा जगह का जारी किया गया है जिस पर रेस्पोडेन्ट नं. 1 सन्तोष देवी कभी काबिज नहीं रही एवं ना ही उसके द्वारा कोई निर्माण कार्य किया जाकर रिहायश की गई इसलिए ऐसा पट्टा खारीज किया जाता है जबकि वास्तविक तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया के पति महेंन्द्रसिंह ने अपीलान्ट नत्थुराम से दिनांक 25.03.2008 को खरीद किया था जिसका कब्जा मौके पर ही सौंप दिया था। उसके बाद प्रार्थीया ने अपने नाम नियमानुसार ग्राम पंचायत से जारी करवाया था। जो उसके स्वामित्व आधिपत्य में बिना किसी बाधा के चला आ रहा है। प्रार्थीया ने उक्त प्लॉट में पानी की टुंटी लगा रखी है एवं एक कुई व कच्चा कमरा का निर्माण करा रखा है एवं उक्त भूखण्ड उपयोग उपभोग में चला आ रहा है उक्त तथ्यों पर मातहत अदालत ने कोई गौर नहीं किया सिर्फ राजनैतिक निर्णय किया है इसलिए प्रशासन कमेटी ने जो विधि विरूद्ध निर्णय पारीत किया है, वह निरस्त योग्य है।

6. यह कि ग्राम पंचायत के किसी निर्णय के खिलाफ अपील पेश करने की म्याद 30 दिन है, जबकि यह अपील 9 साल बाद पेश की गयी थी, जो म्याद बाहर पेश की गयी है विवादित पट्टे का अपीलान्ट अप्रार्थीगण को ज्ञान था। उसके बावजूद भी सन् 2017 में अपील पेश की है, जो किसी भी प्रकार से चलने योग्य नही थी जिसका अपीलान्ट को बखूबी ज्ञान था तथा पंचायत समिति द्वारा अपने पारित इस निर्णय मे म्याद के बिन्दु पर कोई आदेश नही दिया है। इसीलिए अपील मियाद बाहर है, जो काबिल खारिजी के है तथा यह अपील ग्राम पंचायत के निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत नही की गयी है क्योंकि निर्णय तो ग्राम पंचायत का प्रस्ताव होता है जिसके आधार पर पट्टा जारी किया जाता है चूंकि यह कागजी पट्टा है, इसलिए पट्टा के खिलाफ कोई अपील पेश नही की जा सकती है। इसलिए यह पंचायत समिति का फैसला काबिल खारिजी के है।

7. यह कि अप्रार्थी जिनके द्वारा पंचायत समिति में यह अपील पेश की गयी है किसी भी प्रकार से पीड़ित पक्षकार नहीं है। प्रार्थी के पट्टे से इसको कोई नुकसान नही हो रहा था। इसलिए इसे कानूनी अपील करने का अधिकार नही था। इसलिए यह निर्णय विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त योग्य है

8. यह कि प्रशासन एवं स्थापना स्थायी समिति पंचायत समिति का निर्णय कानून सम्मत नही है। सिर्फ राजनैतिक पार्टी वाजी कि वजह से अपने चेहतो को फायदा पहुंचाने के लिए विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

9. यह कि मातहत अदालत का निर्णय स्वैच्छाचारी, मनमाना एवं कानून सम्मत नही है, जो निर्णय कि परिभाषा मे नहीं आता है, इसलिए निरस्त योग्य है।

10. यह कि मातहत अदालत ने प्रार्थीया रेस्पोडेन्ट को विधिवत् रूप से सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया। प्रार्थीया व उसके पति ने जब भी अपील के निर्णय के बारे में जानकारी चाही तब यही बताया गया कि अभी निर्णय नहीं हुआ है। जब भी निर्णय

14.12.22

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

होगा आपको बता दिया जावेगा। इसलिए मातहत अदालत ने शाजीसाना कार्यवाही कर एकतरफा निर्णय पारित किया है। अब अप्रार्थीगण नं. 1 ता 2 ने ऐलानिया कहा कि हमने आपके नाम का पट्टा निरस्त करवा दिया है। अब भूखण्ड पर कब्जा करेंगे। तब मातहत अदालत में आकर निर्णय की जानकारी प्राप्त की तो बताया कि आपके प्लाट का निर्णय 06.12.2017 को किया जा चुका है। जिसमें पट्टा खारीज किया गया है। तब जानकारी होते ही नकल लेने बाबत कार्यवाही की नकल दिनांक 08.12.2021 को प्राप्त हो गई। तब विधि विरूद्व निर्णय होने की जानकारी हुई। जानकारी होते ही वकील के मेंहन्ताना की व्यवस्था कर वकील से सम्पर्क किया एवं तुरन्त निगरानी पेश की जा रही है जो ज्ञान से अन्दर मियाद है।

11. यह कि निगरानी अदालत के क्षेत्राधिकार निर्धारित कोर्ट फीस पर पेश व ज्ञान से अन्दर म्याद है ।

12. अन्य कानून एवं तथ्यों सम्बन्धित वर वक्त बहस अर्ज किया जावेगा।

लिहाजा निगरानी पेश कर अर्ज है कि निगरानी स्वीकार कर निर्णय दिनांक 06.12.2017 निरस्त का अपील अपीलान्ट निरस्त करने का आदेश फरमावें ।

13. निगरानी को दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अध्यक्ष प्रशासन एंव स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर से रिकार्ड तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या–01 व 02 को जरिये नोटिस तामिल करवाई गई लेकिन अप्रार्थी संख्या–01 व 02 न तो स्वंय उपस्थित हुये न ही उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित हुये। बार–बार आवाज लगाई गई। लेकिन अप्रार्थी संख्या–01 व 02 उपस्थित नहीं हुये। अप्रार्थी संख्या–01 व 02 विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अधिवक्ता प्रार्थी श्री हवासिंह पूनियां एडवोकेट उपस्थित हुये। अधिवक्ता प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने एक पक्षीय बहस नें निगरानी के तथ्यो को दोहराते हुये पुनः निवेदन किया कि–

(1) प्रशासन एंव स्थाई समिति पंचायत समिति का निर्णय दिनांक 06.12.2017 निरस्त करनें के योग्य है क्योंकि अप्रार्थी संख्या–01 व 02 द्वारा प्रशासन एंव स्थाई समिति पंचायत समिति के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत अपील संबध में प्रार्थीया प्रशासन एंव स्थाई समिति पंचायत समिति समक्ष उपस्थित हुई एंव सिविल न्यायालय में जैरकार प्रकरण की नकल प्रस्तुत की लेकिन बिना कोई सुनवाई का अवसर दिये दिनांक 06.12.2017 को निर्णय पारित कर दिया गया।

(2) उक्त पट्टा दिनांक 22.12.2008 को जारी किया गया, जो उस समय के कब्जे के आधार पर जारी किया गया। दिनांक 22.12.2008 को जारी पट्टा 322.22 वर्गगज का है(राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 के अनुसार) अगर नहीं है, तो उसके अधिक हिस्से के पट्टे को निरस्त किया जाता जबकि प्रशासन एंव स्थाई समिति पंचायत समिति द्वारा सम्पूर्ण पट्टा को निरस्त किया गया।

14.12.22
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

(3) प्रशासन एंव स्थाई समिति पंचायत समिति द्वारा मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार की गई जो अस्पष्ट है।

(4) अप्रार्थी संख्या–01 व 02 द्वारा प्रशासन एंव स्थाई समिति पंचायत समिति के समक्ष 09 वर्ष बाद अपील प्रस्तुत की गई, जो म्याद बाहर है एंवम अप्रार्थी संख्या–01 व 02 प्रभावित पक्षकार नहीं है। उक्त भूखण्ड प्रार्थीया के पति महेन्द्रसिंह द्वारा नत्थुराम से खरीदशुदा है। अतः विचाराधीन निगरानी को रिमाण्ड करनें बाबत निवेदन किया।

पत्रावली को अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय प्रशासन एंव स्थाई समिति पंचायत समिति से तलब पत्रावली को अवलोकन किया गया। प्रशासन एंव स्थाई समिति पंचायत समिति द्वारा उक्त भूखण्ड को मौका निरीक्षण कर तैयार की गई रिपोर्ट अस्पष्ट है। मौका रिपोर्ट तैयार करनें के संबध कोई आदेश जारी नहीं किया गया है ना ही रिपोर्ट तैयार करनें लिए किस अधिकारी/कर्मचारी को नियुक्त किया गया है, यह रिपोर्ट में स्पष्ट नहीं है। पट्टे का रिकार्ड देखनें पर ज्ञात होता है कि पट्टा 322.22 वर्गगज का है जबकि पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 के अनुसार अवासीय पट्टा 300 का ही जारी किया जा सकता है। उक्त पट्टा 22.12.2008 का जारी किया गया जबकि अपील दिनांक 06.11.2017 में पेश हुई जो, कि म्याद बाहर थी। इस बिंदु पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विचारण नहीं किया गया। सिविल न्यायालय में जारी वाद के विषय में भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विचारण नहीं किया गया। एक ही तारीख पेशी द्वारा आदेश जारी किया जाना यह दृष्टिगत करता है, कि अप्रार्थीगण को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान नहीं किया गया। साथ ही यह भूखंड प्रार्थी का खरीदशुदा भूखंड था, तो इस बिंदु पर निर्णय का अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को नहीं है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिंदु को नजर अंदाज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रेषित पत्रावली की आदेश पंजिका पर विकास अधिकारी के हस्ताक्षर भी नहीं है।

इस प्रकार उक्त विवेचन के आधार पर यह न्यायालय इस निर्णय पर पहुंचा है, कि अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवाई करते समय बहुत से बिदुंओं पर विचारण नहीं किया है, जो कि किए गए निर्णय को उपयुक्त नहीं बनाता है। इस न्यायालय का यह मत है कि यह आदेश दिनांक 06.12.2017 खारिज योग्य है। अतः आदेश दिनांक 06.12.2017 खारिज किया जाता है और पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को रिमांड की जाकर निर्देश दिया जाता है कि समस्त विधिक बिदुंओ का विचारण, अवलोकन कर पुनः सुनवाई करते हुए राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के अनुसार गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर

14/12/22

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

नंबर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली मय इस न्यायालय के निर्णय की प्रति लौटाई जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 14.12.2022 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14.12.22

(चंचल वर्मा आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)